रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062022-236344
CG-DL-E-06062022-236344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2474]	**नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2022/ज्येष्ठ 16, 1944**
No. 2474]	**NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2022/JYAISHTHA 16, 1944**

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

का.आ. 2601(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 25 की उप-धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, केन्द्र सरकार की यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथा: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन** - (1) इस आदेश को पटसन बैग (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।

   (2) यह उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

   (3) यह नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा, लेकिन ऐसे माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हों।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.**-. नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामान या वस्तु उक्त तालिका के कॉलम (3) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियमन, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारित करेगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण** - भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या वस्तु के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए दंड** - इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

तालिका

क्र.सं.	**माल या वस्तु**	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ए-ट्विल	आईएस 1943: 1995	वस्त्र ए-ट्विल पटसन बैग-विनिर्देश
2.	खाद्यान्न पैकिंग के लिए बी-ट्विल पटसन बैग	आईएस 2566:1993	खाद्यान्न पैकिंग के लिए वस्त्र – बी-ट्विल पटसन बैग – विनिर्देश
3.	50 किलो खाद्यान्न पैक करने के लिए पटसन के बोरे	आईएस 12650:2018	50 किलो खाद्यान्न-पैकिंग के लिए वस्त्र पटसन बैग-विनिर्देश
4.	50 किलो चीनी पैक करने के लिए पटसन के बोरे	आईएस 15138:2010	50 किलो चीनी पैकिंग के लिए वस्त्र पटसन बैग-विनिर्देश
5.	50 किलो खाद्यान्न की पैकिंग के लिए हल्के वजन के पटसन के बोरे	आईएस 16186:2014	50 किलो खाद्यान्न पैकिंग के लिए वस्त्र – हल्के वजन के पटसन बोरे - विनिर्देश
6.	30 किलो तक खाद्यान्न पैक करने के लिए पटसन के बोरे	आईएस 16372:2015	30 किलो तक खाद्यान्न पैक करने के लिएवस्त्र पटसन बैग-विनिर्देश

नोट: भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, जिसमें उनके जारी किए गए संशोधन शामिल हैं, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित और अधिसूचित किया गया है, ब्यूरो द्वारा अधिसूचित करने की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. जे-15/1/2022-पटसन अनुभाग]

प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

S.O. 2601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section 3 of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, here by makes the following Order, namely:-

1. **Short title, commencement and application.** - (1) This Order may be called the Jute Bags (Quality Control)Order, 2022.

   (2) Itshallcomeintoforcewitheffectfrom the date of issuance of the above Order.

   (3) It shall apply to goods or article specified in column (2) of the Table below, but shall not apply to such goods or article meant for export.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-.** Goods or article specified in column (2) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations,2018.

3. **Certification and Enforcement Authority.-**The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the Table.

4. **Penalty for Contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act,2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A-twill jute bags	IS 1943: 1995	Textiles-A-twill jute bags-Specification
2.	B-twill jute bags for packing foodgrains	IS 2566:1993	Textiles-B-twill jute bags for packing foodgrains-Specification
3.	Jute bags for packing 50 kg foodgrains	IS 12650:2018	Textiles-Jute bags for packing 50 kg foodgrains-Specification
4.	Jute bags for packing 50 kg sugar	IS 15138:2010	Textiles-Jute bags for packing 50kg sugar-Specification
5.	Light weight jute sacking bags for packing 50 kg foodgrains	IS 16186:2014	Textiles-Light weight jute sacking bags for packing 50 kg foodgrains Specification
6.	Jute bags for packing up to 30 kg foodgrains	IS 16372:2015	Textiles-Jute bags for packing up to 30 kg foodgrains- Specification

Note : The latest version of Indian Standards including amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date as notified by the Bureau.

[F. No. J-15/1/2022-Jute Section]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.06 21:28:15 +05'30'